

सीडीएसएल से एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तें-सह-पंजीकरण फॉर्म

परिभाषाएं:

इन नियम एवं शर्तों में शब्दों का तात्पर्य निम्नलिखित अर्थों से होगा बशर्ते कि इनमें अलग सूचित नहीं किया गया है:

1. "निक्षेपागार (डिपोजिटरी)" का अर्थ केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड है, जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में गठित एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय 17वां तल, पी.जे.टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001 है और इसकी सभी शाखाएं हैं एवं इसमें इसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिनी शामिल हैं.
2. 'डीपी' का अर्थ सीडीएसएल के निक्षेपागार प्रतिभागी से है. इस शब्द में सभी प्रकार के 'डीपी' शामिल हैं, जिन्हें निवेशकों के लिए डीमैट खाते खोलने की अनुमति प्राप्त है.
3. 'बीओ' का अर्थ एक ऐसी इकाई से है जिसने निक्षेपागार के साथ डीमैट खाता खोला हुआ है. इस शब्द में सभी प्रकार के डीमैट खाते शामिल हैं, जिन्हें निक्षेपागार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने के आधार पर किसी निक्षेपागार के साथ खोले जा सकते हैं.
4. एसएमएस का अर्थ "संक्षिप्त मैसेजिंग सेवा" है.
5. "अलर्ट" का अर्थ बीओ के मोबाइल नंबर पर भेजा गया एक कस्टमाइज एसएमएस है.
6. "सेवा प्रदाता" का अर्थ ऐसे सेलुलर सेवा प्रदाता (प्रदाताओं) से है जिसके साथ निक्षेपागार ने बीओ को एसएमएस अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यवस्था की है या करने वाले है.
7. "सेवा" का अर्थ इन नियम एवं शर्तों के अनुसार श्रेष्ठतम प्रयास के आधार पर बीओ को एसएमएस अलर्ट भेजने की सेवा है.

उपलब्धता:

1. यह सेवा बीओ को उनके अनुरोध और निक्षेपागार के विवेक पर उपलब्ध कराई जाएगी. यह सेवा उन खाताधारकों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने अपने डीपी के माध्यम से निक्षेपागार को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है. यह सेवा सुरक्षा कारणों अथवा सिस्टम मरम्मत अथवा किसी अन्य अपेक्षित कारणों से किसी निर्धारित अवधि/ अनंतकालीन अवधि के लिए सूचना देने के साथ अथवा बिना सूचित किए ही डीपी सेवा को बंद किया जा सकता है. निक्षेपागार किसी भी समय कोई कारण बताए बिना, बगैर किसी पूर्व सूचना के इस सेवा को बंद की जा सकती है.
2. वर्तमान में यह सेवा भारत में रह रहे बीओ के लिए उपलब्ध है.
3. ये अलर्ट बीओ को तभी भेजे जाएंगे जब वे सेवा प्रदाता के सेवा क्षेत्र में अथवा सेवा प्रदाता के रोमिंग नेटवर्क में शामिल क्षेत्र के रेंज के भीतर रहेंगे.
4. संयुक्त खाते और गैर-वैयक्तिक खातों के मामले में पंजीकरण / संशोधन के समय दिए गए एक मोबाइल नंबर पर ही यह सेवा उपलब्ध होगी.
5. बीओ इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि जिस पर बीओ निक्षेपागार से अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर के बदलने, अथवा हैंड-सेट गुम होने पर, निर्धारित प्रारूप में तत्काल इसकी सूचना निक्षेपागार को दें. यदि मोबाइल नंबर के बदले जाने की सूचना निक्षेपागार को नहीं दी जाती है तो अंतिम पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट का भेजा जाना जारी रहेगा. ऐसे मोबाइल नंबर

पर एसएमएस अलर्ट भेजे जाने के कारण निक्षेपागार को पहुंचने वाली नुकसान या क्षति की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीओ सहमत होंगे.

अलर्ट प्राप्त करना:

1. निक्षेपागार बीओ द्वारा सेवा के पंजीकरण के दौरान दिए गए मोबाइल नंबर पर अथवा वैसे मोबाइल नंबर जिसे समय-समय पर बीओ द्वारा सूचित किए जाने पर बदला जाता है, उसपर एसएमएस अलर्ट उपलब्ध कराएगा. ऐसे पंजीकरण / बदलाव किए जाने पर निक्षेपागार स्तर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि तर्कसंगत समय में मोबाइल नंबर के इस बदलाव का अद्यतन किया जाए. इस संबंध में किसी देरी अथवा मैसेज नहीं प्राप्त होने के लिए निक्षेपागार को जिम्मेवार नहीं माना जाएगा.
2. बीओ यह मानते हैं कि जब मोबाइल फोन चालू (ON) रहेगा और एसएमएस प्राप्त करने के मोड में रहेगा, तभी अलर्ट प्राप्त होगा. यदि मोबाइल बंद मोड में है अर्थात् एसएमएस प्राप्त करने में असमर्थ होगा तब बीओ संबंधित अवधि में भेजे गए अलर्ट प्राप्त नहीं कर सकते हैं/ या विलंब से प्राप्त कर सकते हैं
3. बीओ यह भी मानते हैं कि सेवा प्रदान करने की पठनीयता, सटीकता और समयबद्धता कई कारकों पर निर्भर करती हैं जैसे कि सेवा प्रदाता की आधारभूत संरचना, कनेक्टिविटी. निक्षेपागार अलर्ट की प्राप्ति नहीं होने, देर से प्राप्त होने अथवा अलर्ट में किसी भी प्रकार की तोड़-मरोड़ के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
4. बीओ इसके अतिरिक्त यह भी मानते हैं कि उन्हें प्रदान की जा रही यह सेवा उनकी सुविधा के लिए एक अतिरिक्त सेवा है और यह त्रुटि, तोड़-मरोड़ और/ अथवा अशुद्धि से पूरी तरह परे नहीं है. बीओ यदि अलर्ट में उपलब्ध कराई गई किसी जानकारी में त्रुटि पाते हैं तो बीओ तत्काल लिखित में निक्षेपागार और/ अथवा डीपी को सूचित करें और निक्षेपागार इस त्रुटि का सुधार करने में यथासंभव सभी श्रेष्ठतम प्रयास करेगा. एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा के विकल्प का चयन करने के कारण बीओ को हुए किसी नुकसान, क्षति आदि के लिए बीओ निक्षेपागार को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा.
5. बीओ निक्षेपागार को संवर्धन, शुभकामना अथवा अन्य संदेश जिसे निक्षेपागार उचित समझता हो को बीओ को भेजने के लिए प्राधिकृत करता है. बीओ सीडीएसएल एवं अन्य इकाई के साथ मार्केटिंग ऑफ़र के लिए नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का प्रयोग करने हेतु सहमति प्रदान करता है.
6. बीओ एसएमएस अलर्ट प्राप्त होने पर अपने बीओ खाते में अनधिकृत डेबिट / अपने बीओ खाते से प्रतिभूतियों के अनधिकृत अंतरण होने की सूचना मिलते ही तत्काल लिखित रूप में निक्षेपागार और डीपी को सूचना देने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं. बीओ सीडीएसएल को complaints@cslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं. बीओ को सूचित किया जाता है कि अपने बीओ खाते से किसी अनधिकृत डेबिट / प्रतिभूतियों के अंतरण की सूचना अपने सेवा प्रदाता को वापसी एसएमएस भेज कर नहीं करें क्योंकि सेवा प्रदाता और निक्षेपागार के बीच के बीच कोई वापसी का संप्रेषण नहीं किया जाता है.
7. मोबाइल नंबर पर जानकारी के रूप में भेजे गए एसएमएस अलर्ट को बीओ के द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा और निक्षेपागार अलर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की सत्यता की पुष्टि करने के लिए किसी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आएगा.
8. निक्षेपागार सेवा प्रदान करने के लिए अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रयास करेगा. बीओ किसी भी परिस्थिति में सेवा उपलब्ध नहीं होने के लिए निक्षेपागार को जिम्मेवार नहीं ठहराएगा.
9. यदि बीओ यह पाता है कि उसके द्वारा उपयुक्त रूप से अधिकृत किए बिना मोबाइल नंबर, आदि संबंधी सूचना में परिवर्तन किया गया है तो बीओ लिखित रूप में डीपी को इसकी सूचना देगा.

फीस:

निक्षेपागार बीओ को यह सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर जैसा उचित समझे इसकी फीस वसूलने का अधिकार रखता है.

घोषणा:

निक्षेपागार बीओ की जानकारी को गोपनीय रखने के सारे उचित प्रयास करेगा. निक्षेपागार सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस अलर्ट भेजे जाने की गोपनीयता अथवा सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता है. इसके अतिरिक्त एसएमएस अलर्ट सुविधा उपलब्ध कराने के कारण या इसके संबंध में बीओ अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हुए नुकसान, क्षति होने के लिए अपने सिस्टम या नेटवर्क अथवा इसके कार्यनिष्पादन से संबंधित अन्य कार्य के संबंध में निक्षेपागार कभी भी और किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेगा अथवा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा. निक्षेपागार सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा संबंधी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं लेगा. निक्षेपागार बीओ के मोबाइल फोन नंबर पर भेजी गई सूचना और/अथवा एसएमएस अलर्ट के अनधिकृत एक्सेस, उपयोग अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा ऐसी सूचना संबंधी धोखाधड़ी अथवा डुप्लिकेट या त्रुटिपूर्ण उपयोग/ दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.

जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति:

बीओ के लिए लक्षित किसी सूचना के अनधिकृत एक्सेस के कारण सेवा प्रदाता अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीयता के उल्लंघन के लिए निक्षेपागार उत्तरदायी नहीं होगा. निक्षेपागार के साथ सेवा प्रदान करने पर विचार किए गए अनुसार बीओ द्वारा इस सेवा के दुरुपयोग, अनुचित उपयोग अथवा धोखाधड़ी अथवा हस्तक्षेप के कारण निक्षेपागार स्तर पर किसी भी समय हुए किसी भी नुकसान, दावों, मांगों, कार्यवाहियों, हानि, लागत, प्रभारों, खर्चों की क्षतिपूर्ति करने और इनसे निक्षेपागार और इसके अधिकारियों को सुरक्षित तथा हानिरहित रखने के लिए बीओ की सहमति होगी.

संशोधन:

निक्षेपागार बीओ को सूचित करते हुए अथवा सूचना दिए बगैर नियमों एवं शर्तों में किसी भी समय संशोधन कर सकता है. पहले से उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत बीओ ऐसे किसी भी संशोधनों का पालन करने के लिए बाध्य है.

शासकीय कानून और न्याय-अधिकार:

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट प्रदत्त सेवा भारत के कानून से शासित होगी और यह मुंबई न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के ही अध्यक्षीन होगी.

मैं/हम निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अध्यक्षीन पंजीकरण फॉर्म में दिए गए अपने/हमारे मोबाइल नंबर पर निक्षेपागार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एसएमएस अलर्ट की सुविधा का लाभ उठाना चाहता/ चाहती हूं/ चाहते हैं. मैं/ हम सीडीएसएल को सेवा प्रदाता को मेरे / हमारे खाते से संबंधित खाते/लेनदेन से संबंधित ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहमति देता/ देती हूं / देते हैं जो सेवा प्रदाता द्वारा इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजने हेतु एसएमएस अलर्ट जेनरेट करने के उद्देश्य से जरूरी है.

मैंने/ हमने उपर्युक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनके तथा निक्षेपागार द्वारा समय समय पर उनमें किए गए किसी भी बदलाव का पालन करने के लिए मैं/ हम सहमत हूं/ हैं. इसके अतिरिक्त मैं/ हम निक्षेपागार द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले फीस/ प्रभारों को अदा करने का वचन देता/ देती हूं/ देते हैं.

इसके अतिरिक्त मैं/ हम मानता/मानती हूं/ मानते हैं कि एक बार में अधिकतम चार आईएसआईएनएस के लिए एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा. यदि चार से अधिक डेबिट किए जाते हैं तो बीओ को आने डीपी के साथ इस मामले को संज्ञान में लाना चाहिए.

मैं/ हम इस बात से अवगत हूं/ हैं कि पंजीकरण फॉर्म के स्वीकार करने मात्र से किसी भी तरह निक्षेपागार द्वारा यह सेवा प्रदान करने संबंधित अनुरोध की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी.

मैं/ हम पंजीकरण/ संशोधन करने के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान कर रहा/ रही हूं/ रहे हैं. (कृपया जो लागू नहीं है उसे काट दें)

बीओआईडी

1	3	0	1	8	7	0	0										
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(कृपया अपनी आठ अंक की ग्राहक आईडी लिखें)

सोल/ प्रथम धारक का नाम:.....

द्वितीय धारक का नाम:.....

तृतीय धारक का नाम:.....

मोबाइल नंबर जिसपर:
संदेश भेजे जाने हैं.

+91																	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(कृपया शून्य अथवा प्रीफिक्स लिखे बिना मोबाइल नंबर लिखें)

मोबाइल नंबर.....के नाम से पंजीकृत है.

ईमेल आईडी.....

(कृपया एक ईमेल आईडी लिखें जिनपर, यदि कोई सूचना हो, तो भेजी जाए)

हस्ताक्षर

.....
सोल/ प्रथम धारक

.....
द्वितीय धारक

.....
तृतीय धारक

स्थान:

दिनांक:.....